भारत सरकार

खान मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *254

दिनांक 06.08.2025 को उत्तर देने के लिए

जिला खनिज फाउंडेशन शासी परिषदें

*254. श्री महेश कश्यपः

श्रीमती रूपकुमारी चौधरीः

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) की स्थापना की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) छत्तीसगढ़ और राजस्थान के विभिन्न संभागों/अंचलों सहित देशभर में डीएमएफ के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में राज्य-वार कितनी धनराशि संग्रहीत, स्वीकृत और व्यय की गई है;

(ग) क्या उक्त फाउंडेशन के अंतर्गत संग्रहीत उक्त राशि के व्यय के लिए राज्य सरकारों से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य है और यदि हाँ, तो इसके कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस संबंध में शिकायत निवारण तंत्र के अंतर्गत अब तक प्राप्त और निपटाई गई शिकायतों की कुल संख्या कितनी है;

(ङ) क्या शासी परिषदों में निर्वाचित प्रतिनिधियों को शामिल किए जाने के प्रावधान का देश भर में समान रूप से पालन किया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या जनजातीय सलाहकार परिषदों या ग्राम सभाओं ने डीएमएफ निधि के उपयोग का विरोध किया है और यदि हाँ, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(छ) क्या सरकार का राज्य के जरूरतमंद जिलों में डीएमएफ निधि की अतिरिक्त राशि का उपयोग करने के लिए कोई नीति बनाने का विचार है; और

(ज) क्या सरकार का इसकी वर्तमान प्रणाली को बदलते हुए डीएमएफ के अध्यक्ष के रूप में जनप्रतिनिधि की नियुक्ति करने का विचार है?

उत्तर

कोयला और खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (ज): विवरण सदन के सभा पटल पर रख दिया गया है।

‘जिला खनिज फाउंडेशन शासी परिषदें’ के संबंध में संसद सदस्य श्री महेश कश्यप और श्रीमती रूपकुमारी चौधरी द्वारा दिनांक 6 अगस्त, 2025 को लोक सभा में पूछे गए तारांकित प्रश्न सं. *254 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 9ख में यह अधिदेशित है कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, खनन संबंधी क्रियाकलापों से प्रभावित देश के प्रत्येक जिले में एक जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) की स्थापना करेगी। अब तक, पूरे देश के 23 राज्यों को कवर करते हुए 646 डीएमएफ स्थापित किए गए हैं।

(ख) छत्तीसगढ़ और राजस्थान सहित देश भर में डीएमएफ के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में एकत्रित, स्वीकृत और व्यय की गई निधियों की कुल राशि का राज्य-वार विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है।

(ग) पीएमकेकेकेवाई दिशा-निर्देश 2024 की धारा-6 में निर्धारित किया गया है कि डीएमएफ से निधियों का अनुमोदन केवल डीएमएफ की शासी परिषद द्वारा किया जाएगा। राज्य सरकार या राज्य स्तरीय समिति (चाहे किसी भी नाम से पुकारी जाए) के पास परियोजनाओं की स्वीकृति, निधियों/व्यय के अनुमोदन का व्यापक अधिकार नहीं होगा और उनका कार्य पीएमकेकेकेवाई के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी तक सीमित होगा।

(घ) पीएमकेकेकेवाई दिशा-निर्देश 2024 की धारा 12 निर्धारित करती है कि प्रत्येक शिकायत के निवारण हेतु जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर एक त्रि-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र तैयार और कार्यान्वित किया जाएगा तथा शिकायतकर्ता को निर्धारित समय-सीमा के भीतर उपयुक्त उत्तर दिया जाएगा। तथापि, राज्य स्तर पर इस संबंध में कोई केंद्रीकृत डेटा नहीं रखा जाता है।

(ङ) पीएमकेकेकेवाई दिशा-निर्देश 2024 की धारा 4 में निर्धारित किया गया है कि डीएमएफ की संरचना और कार्यकलाप वे होंगे जो, राज्य सरकार द्वारा राज्य डीएमएफ नियमों में यथा निर्धारित हों। पीएमकेकेकेवाई दिशा-निर्देश 2024 में यह अधिदेशित है कि डीएमएफ की शासी परिषद में सदस्य के रूप में निर्वाचित प्रतिनिधियों जैसे माननीय संसद सदस्य, लोक सभा, माननीय संसद सदस्य, राज्य सभा, विधान सभा के सदस्य और विधान परिषद के सदस्यों को शामिल किया जाएगा।

(च) जनजातीय सलाहकार परिषदों या ग्राम सभाओं द्वारा डीएमएफ निधि के उपयोग के विरोध से संबंधित ऐसा कोई मामला खान मंत्रालय के संज्ञान में नहीं आया है।

(छ) और (ज) आज की तारीख में, ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*****

अनुलग्नक-I

(रुपये करोड़ में)

| क्र.सं. | राज्य | संग्रहण | उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र | | अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्र | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | आवंटन | किया गया व्यय | आवंटन | किया गया व्यय |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 2375.05 | 939.37 | 488.71 | 1341.82 | 517.41 |
| 2 | असम | 281.53 | 92.91 | 70.87 | 48.54 | 35.35 |
| 3 | बिहार | 189.38 | 54.87 | 43.57 | 37.81 | 16.12 |
| 4 | छत्तीसगढ़ | 15402.43 | 10781.14 | 7555.80 | 5402.58 | 3790.71 |
| 5 | गोवा | 239.38 | 97.05 | 57.15 | 15.45 | 10.31 |
| 6 | गुजरात | 1912.37 | 1120.57 | 581.41 | 425.86 | 223.12 |
| 7 | हरियाणा | 91.24 | - | - | - | - |
| 8 | हिमाचल प्रदेश | 376.79 | 99.70 | 36.58 | 107.37 | 37.45 |
| 9 | जम्मू और कश्मीर | 88.85 | 31.01 | 24.00 | 17.78 | 10.88 |
| 10 | झारखंड | 13791.40 | 7342.67 | 5211.45 | 3012.74 | 1467.96 |
| 11 | कर्नाटक | 5919.46 | 2597.63 | 1181.57 | 1602.51 | 925.90 |
| 12 | केरल | 111.23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | मध्य प्रदेश | 8604.71 | 2555.25 | 2105.98 | 2087.09 | 1262.12 |
| 14 | महाराष्ट्र | 6680.41 | 3011.49 | 1772.51 | 1907.92 | 1127.76 |
| 15 | मेघालय | 89.18 | 7.14 | 3.14 | 6.54 | 4.54 |
| 16 | ओडिशा | 31323.53 | 19186.97 | 13324.99 | 7432.85 | 4211.83 |
| 17 | पंजाब | 276.39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | राजस्थान | 10833.39 | 4090.58 | 1863.74 | 6398.50 | 3269.89 |
| 19 | तमिलनाडु | 1657.40 | 570.79 | 489.75 | 468.48 | 429.76 |
| 20 | तेलंगाना | 6134.25 | 2231.67 | 1448.77 | 4390.86 | 2931.45 |
| 21 | उत्तर प्रदेश | 2376.21 | 498.02 | 409.79 | 560.53 | 397.82 |
| 22 | उत्तराखंड | 491.63 | 98.24 | 55.35 | 91.07 | 69.43 |
| 23 | पश्चिम बंगाल | 177.69 | 45.60 | 30.14 | 23.80 | 18.46 |